भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/24/2018/एफ.सी. 183 दिनाँक: 13.06.2018

सेवा मे,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, छठवां तल,
बापू भवन, लखनऊ

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/26890/2017

विषय: जनपद कानपुर में एन0एच0 91 मित्रसेन–कानपुर मार्ग के किमी0 356 से किमी0 414 तक 4 लेन मार्ग चौड़ीकरण हेतु 93.975 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4800 बाधक वृक्षों एवं 17 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ– क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक– 08.06.2018 की कार्रवाई (REC Agenda item 29.1-UP) प्रति संलग्न

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी–5/14–2–2018–800(34)/2013, दिनांक– 16.05.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण को दिनांक– 08.06.2018 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक मे (REC Agenda item 29.3-UP) शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में यह पाया गया कि एरिया केलकुलेशन शीट प्रस्तावित वनभूमि के क्षेत्रफल से मेल नहीं खाता है तथा सही गणना शीट पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1.नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2.प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर सामाजिक वन प्रभाग, बहराइच, उ0 प्र0।
3.परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0,अलीगढ़ खण्ड, उ0 प्र0।
4.पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5.आदेश पत्रावली

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–5259/कानपुर/26890/2017, दिनांक, लखनऊ, जून 18, 2018

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को इस कार्यालय के पत्रांक–5221, दिनांक 11.06.2018 एवं पत्रांक–5225/कानपुर/26890/2017, दिनांक 12.06.2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना एवं अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर अभिलेखों की **मूल तीन प्रति** इस कार्यालय को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, **कानपुर** को इस कार्यालय के पत्रांक–5221, दिनांक 11.06.2018 एवं पत्रांक–5225/कानपुर/26890/2017, दिनांक 12.06.2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना एवं अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर प्रति मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वांछित सूचना एवं अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर प्रति प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, **कानपुर** को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।